



2026:AHC: 14268

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 44022/2025

सुरेश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: जय प्रकाश यादव
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- 1- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 चुनौती के अधीन है।
- 2- प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि उपरोक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पास अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
- 3- मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, वैधानिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

20 जनवरी, 2026

स्वाति